

न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

152/2011
24.05.2011

श्रीमति विमला देवी पत्नि प्रेमचन्द जैन कासलीवाल जाति महाजन निवासी शास्त्री नगर
टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

..... प्रार्थीया

बनाम

- 1-सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर)
टोंक
2-परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई,
नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

- उपस्थित (1) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक प्रार्थीया
(2) श्री रामअवतार सोनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2

निर्णय

दिनांक 26.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण में ग्राम पालडी तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 729/2 में से 1300 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीया सडक के पास, शहर से 3 कि.मी. की दूरी, व्यवसायिक की दर से तथा सिंचित भूमि की डीएलसी दर से मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः अवार्ड 940/09 दिनांक 08.07.2010 को निरस्त कर सडक के पास, शहर से 3 कि.मी. की दूरी, व्यवसायिक की दर से तथा सिंचित भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 940/09 दिनांक 08.07.2010 तलब की गई एवं उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 729/1 में से कुल रकबा 1300 वर्गमीटर वाके ग्राम पालडी में अवाप्त की गई

- 771 -



आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार में निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल-दोयम राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, प्रार्थीगण की भूमि सिंचित नहीं थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या-2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति० जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थीया की भूमि ख०न० 729/2 में से 1300 वर्गमीटर, किस्म जमीन माल-दोयम वाके ग्राम पालडी का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थीया द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा सडक के पास की भूमि, शहर से 3 कि.मी. की दूरी, व्यवसायिक की दर से तथा सिंचित भूमि की डी०एल०सी० दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा भूमि के सिंचित होने व व्यवसायिक होने के संबंध में खसरा गिरदावरी तथा अन्य साक्ष्य-सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
आसिस्टेंट जिला कलेक्टर 12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)